

पत्रांक:- 04/NULM- 05 /16 561/न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

नरेन्द्र कुमार सिंह (भा.प्र.से.)
अपर सचिव-सह-निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम
नगर कार्यपालक, पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद / नगर पंचायत।

विषय:-

पटना, दिनांक 2/3/17
दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के
SEP घटक के अन्तर्गत लाभुकों को RSETI द्वारा दिये गए प्रशिक्षण पर हुए खर्च
की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) / भुगतान के संबंध में।

संदर्भ -


विभागीय पत्रांक- 04/NULM-05/16/2504 दिनांक- 09/11/2016.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का स्मरण किया जाय। प्रासंगिक पत्र द्वारा RSETI (NACER) निदेशक के साथ हुए MoU की प्रति उपलब्ध करायी गयी थी, जिसमें DAY-NULM योजना के SEP घटक के अधीन लाभुकों के आवासीय प्रशिक्षण खर्च प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 405.00 रुपये (चार सौ पाँच रु0) का उल्लेख किया गया है। इसी संदर्भ में स्पष्ट कहना है कि गैर आवासीय प्रशिक्षण हेतु प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 330.00 रुपये (तीन सौ तीस रु0) का दर निर्धारित की गई है।

अतः RSETI (NACER) द्वारा दिये गए आवासीय प्रशिक्षण हेतु प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 405.00 रुपये की दर से एवं गैर आवासीय प्रशिक्षण हेतु प्रति व्यक्ति प्रति दिन 330.00 रुपये (तीन सौ तीस रु0) की दर से भुगतान किया जाये।

विश्वासभाजन


अपर सचिव-सह-निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।